SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998

IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No56/18 sum	Complaint or report madeon14-03-18.
Name and address of the Comp	lainantPolice station Endory
	-100 Mc
Na	me , parentage,caste and address of accused
	8 1
रामनिवास पुत्र कृपालसिंह तोम निवासी एण्डोरी थाना एण्डोरी	
गिषासा ५०७स यामा ५०७स	טאטי פייוי ווייטי
	/80
, 5	हर्गे किया है जिस्से के लिए के लिए किया है जिस के लिए
12 00	
The offence	, complainant of, and date of, its alleged commission
and office of	, companion or, and date or, no direged commission
आप पर आरोप	है कि दिनांक 14.03.18 19:40 बजे मुकाम एण्डोरी नहर की पुलिया
A	ु वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में 25 पाव देशी मदिरा प्लेन
10	विष्युर्वासी पर जानने जालिनस्य न 20 नाम पर्सा नापरा रहा
विकय / परिवहन हेतु रखी।	
ऐसा करके आप	ाने आबकारी अधि0 1915 की धारा 34—1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।	
तरम आए	को उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
प्या जान	विम उपर अभराज (पापम ए पा प्राराखा जावरा वा
	हस्ता.
The pl	lea of the accused and his examination (if any)
अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से	दण्डित करने का निवेदन है।
जाराज रमानगर छ। नू । ५ ० रा	41 001 4701 471 144 1 61
	CC ZX
	हस्ता.
	A 13
The offence proved. If any and in	case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of

the property in respect of which the offence has been committed.

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 06.04.18 को घोषित)

- 01. <u>अ</u>भियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधि0 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि0 1915 की धारा 34–1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अविध तक की सजा एवं रूपये 1000/- शब्दों में एक हजार रूपये रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर सात दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
- 04. जप्तशुदा सम्पत्ति शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्टकर व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

मेरे निर्देशन पर टंकित

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)